भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2413
16.03.2022 को उत्तर देने के लिए

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीलैड) निधि बहाल करना

2413. श्री एस. मुनिस्वामी:
श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:
श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:
श्री प्रताप सिम्हा:
श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा:
डॉ. उमेश जी. जाधव:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीलैड) निधि को बहाल करने और जारी रखने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा एमपीलैड निधि प्रदान और स्वीकृत करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) जी हां ।

(ख) सरकार ने मौजूदा एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुसार एक किस्त में रुपए 2 करोड़ प्रति सांसद की दर से एमपीलैड्स निधि की निर्मुक्ति के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के दौरान संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) को पुनः बहाल कर दिया है और रुपए 5 करोड़ प्रति सांसद की वार्षिक हकदारी के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक एमपीलैड्स को जारी रखने की मंजूरी दी है । सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 25.11.2021 के परिपत्र सं. सी-22/2021-एमपीलैड्स (अनुलग्नक-I) के माध्यम से इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

****

<u>अनुलग्नक-I</u>

(दिनांक 16 मार्च 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2413 के पैरा (ग) से संदर्भित अनुलग्नक I)

<u>अति तत्काल</u>

सं. सी-22/2021-एमपीलैड्स
भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
(एमपीलैड्स प्रभाग)

पूर्वी ब्लॉक-6, लेवल-6
आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066
दिनांक: 25.11.2021

<u>परिपत्र</u>

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के दौरान और वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) का पुन:प्रचलन और पुनरारंभ।

समाज पर कोविड-19 के स्वास्थ्य और प्रतिकूल प्रभावों के प्रबंधन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अप्रैल 2020 को आयोजित अपनी बैठक में, वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए एमपीलैड्स का संचालन न करने और वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 हेतु एमपीलैड्स निधियों को वित्त मंत्रालय के निपटान पर रखने का निर्णय लिया है । मंत्रालय ने दिनांक 08-04-2020 को एक विस्तृत परिपत्र जारी किया जिसमें इस आशय के निर्देश/दिशानिर्देश शामिल हैं।

2. इसके बाद, मंत्रालय को माननीय संसद सदस्यों और अन्य हितधारकों से एमपीलैड्स की बहाली के लिए अनुरोध करने वाले कई संदर्भ प्राप्त हुए। तदनुसार, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए एमपीलैड्स को पुनः प्रचालित करने और वित्तीय वर्ष 2025-26 तक इसे जारी रखने का निर्णय लिया है।

3. उपरोक्त निर्णय के आलोक में, निम्नलिखित तथ्य तत्काल प्रभाव से लागू होंगे:

क. एमपीलैड्स को वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष) 2021-22 की शेष अवधि के लिए 10-11-2021 से प्रभावी रूप से पुनः प्रचालित किया गया है और मौजूदा एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुसार योजना को वित्तीय वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है।

ख. वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के दौरान, मंत्रालय मौजूदा एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों के

अनुसार एक वित्तीय वर्ष की पहली क़िस्त को जारी करने के लिए मानदंडों की पूर्ति करने पर, एक क़िस्त में 2 करोड़ रुपए प्रति सांसद की दर से एमपीलैड्स निधि जारी करेगा।

ग. वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 की अवधि के दौरान, प्रति सांसद (एमपी) वार्षिक पात्रता 5 करोड़ रुपए बनी रहेगी जो 2.5 करोड़ रुपए प्रति की दो किस्तों में जारी की जाएगी, जो मौजूदा एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों के अनुसार शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगा।

घ. किसी सांसद की 2021-22 की शेष अवधि के लिए ₹ 2 करोड़ की पात्रता तभी स्वीकार्य होगी जब वित्त वर्ष 2021-22 की शेष अवधि में संसद सदस्य का कार्यकाल 35 दिनों से अधिक हो।

ङ. एमपीलैड्स के तहत संसद सदस्य की पात्रता के उद्देश्य से एमपीलैड्स के गैर-संचालन की प्रभावी अवधि 08-04-2020 से 9-11-2021 तक होगी। तदनुसार, मंत्रालय वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कोई एमपीलैड्स किस्त जारी नहीं करेगा और वित्त वर्ष 2021-22 के शेष अवधि के लिए किस्त की राशि को संशोधित कर प्रति सांसद ₹ 2 करोड़ कर दिया गया है।

च. वित्त वर्ष 2021-22 की किस्तें जारी करने के उद्देश्य से, वित्त वर्ष 2020-21 की अवधि को पैरा 4.3 में उल्लिखित पिछले वर्ष की परिस्थिति के कारण छोड़ दिया जाएगा , इसके बजाय वित्त वर्ष 2019-20 को पिछले वर्ष के रूप में माना जाएगा ।

छ. उन सांसदों के मामले में जिन्होंने योजना के गैर-संचालन के दौरान पद छोड़ दिया और जिनकी किस्तें मंत्रालय के पास लंबित हैं, एमपीलैड्स के गैर-संचालन की अवधि को कार्यों को पूरा करने और मौजूदा एमपीलैड्स दिशानिर्देशों पैरा 4.10.1 में दिए गए के प्रावधान अनुसार खातों का निपटान के लिए 18 महीने और 3 महीने की समय-सीमा की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। ।

ज. मंत्रालय के दो वर्षों (2020-21 और 2021-22) के लिए एमपीलैड्स के गैर-संचालन विषय पर मंत्रालय दिनांक 08-04-2020 का परिपत्र एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

4. अत: सभी नोडल जिला प्राधिकरणों से अनुरोध किया जाता है कि सभी प्रकार से पूर्ण विधिवत हस्ताक्षरित किस्तों को जारी करने संबंधी प्रस्ताव जैसे सभी संगत निधि संबंधी दस्तावेज, अर्थात जैसे मासिक प्रगति रिपोर्ट(एमपीआर), उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी), अनंतिम उपयोगिता प्रमाणपत्र(पीयूसी), और लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र (एसी) और निधि की खर्च न की गई और शेष राशि और अस्वीकृत शेष राशि, यथालागू, के मानदण्डों को पूरा करने वाले प्रस्तावों को तत्काल भेजें ताकि यह मंत्रालय इसको प्रोसेस कर सकें तथा **नियत समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा निधियों के आवंटन के आधार पर इस योजना के तहत निधियों को जारी करने के लिए तैयार रह सकें।**

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(तनवीर कमर मोहम्मद)
संयुक्त सचिव(एमपीलैडस)
ईमेल: mplads@nic.in

सेवा में,

1. लोकसभा और राज्य सभा के सभी माननीय संसद सदस्य
2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मुख्य सचिव
3. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल सचिव
4. दिल्ली/चेन्नई/मुंबई/कोलकाता के निगम आयुक्त
5. सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

6. माननीय उपसभापति, राज्य सभा के निजी सचिव
7. माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निजी सचिव
8. माननीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), के निजी सचिव
9. मंत्रिमंडल सचिव के निजी सचिव, कैबिनेट सचिवालय, नई दिल्ली
10. सचिव (व्यय) / सचिव (आर्थिक मामले), वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव

11. सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ पीपीएस, नई दिल्ली
12. सचिव/महानिदेशक (सी एंड ए)/अपर सचिव (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)
13. अपर सचिव/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
14. निदेशक, एमपीलैड्स संबंधी समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली
15. अपर निदेशक, एमपीलैड्स संबंधी समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
16. एनआईसी - सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय पोर्टल पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ

*****